राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोविन्दराम / शिशपाल

तारीख हुक्म 220/2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/8/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधि. रेस्पो. ने मुख्य आपत्ति यही दर्ज कराई की अपीलार्थी द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील प्रस्तुत की गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष टी. आई. का जवाब एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा चूका है ऐसी परिस्थिति में उन्हें इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष नही दिया जा सकता एवं इस सन्दर्भ में उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करनी चाहिये। जिसके जवाब में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पो. अधीनस्थ न्यायालय से आदेश जैर अपील प्राप्त कर आगामी नियत दिनांक 22/07/2020 को कोविड महामारी के कारण नियमित सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नही हुये। प्रकरण में आबादी भूमि को गलत तथ्य बताकर आदेश जैर अपील पारित करवा लिया गया है एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अब न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चूँकि है इसलिये न्यायालय हाजा भी सुनवाई हेतु सक्षम होने से इस विधि विरुद्ध पारित आदेश जैर अपील को स्थगित फरमाने का आदेश प्रदान करे। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल आगामी पेशी दिनांक 11/08/2020 नियत है एवं चूँकि दोनों पक्ष इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है ऐसी परिस्थिति में चूँकि दौराने बहस प्रकरण में विशिष्ट तथ्य उजागर हुये है। अतः अपील के माध्यम प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष आगामी मूल नियत दिनांक 11/08/2020 को दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर गुणावगुण पर विधिसम्वत आदेश आवश्यक रूप से पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11/08/2020 को आवश्यक रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी यदि बहस हेतु अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष दिनांक 11/08/2020 को उपस्थित नही होते है तो अधीनस्थ न्यायालय इकतरफा मैं पारित आदेश और अपील को आगे कायम नही रखे। तदनुसार अपील निरस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/8/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	